राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर– 86/2013

शिवनारायण   ब–ना–म   चिरंजीलाल आदि

दावा– घोषणात्मक, खाता विभाजन व स्थाई निषेधाज्ञा

प्रा0 पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी

उपस्थित अधिवक्ता :–

1. श्री विश्वनाथ अग्रवाल – प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 की ओर से
2. श्री रोशनलाल सैनी – अप्रार्थी/वादी की ओर से

:: निर्णय ::   **दिनांक :– 12–10–2022**

प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 की ओर से एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. इस आशय का पेश किया गया है कि वादी ने गलत तथ्यों के आधार पर गलत दावा पेश किया है। वादीने अपने ट्रकों को फाईनेंश कम्पनी से अपने ट्रक वापस लेने हेतु रूपयों की सख्त आवश्यकता होने के कारण वादी को अपनी जमीन, कुआ, 2,80,000/– (दो लाख अस्सी हजार) में प्रतिवादी चिरंजीलाल को बेच कर इकरारनामा लिख कर, नोटेरी से दिनांक 16.07.2005 को तस्दीक करवाया उससे पहले उप पंजियन खेतड़ी के यहां अपनी विक्रीत भूमि की प्रतिवादी के पक्ष में रजिस्ट्री करवाने आया तब वादी व प्रतिवादी का रिश्तेदार मूलचन्द सैनी जो तहसील में रजिस्ट्री बाबू था। उसने वादी से कहा कि क्यों जबरदस्ती रजिस्ट्री का खर्चा करते हो, मैं आपकी उक्त बिक्री की गई भूमि का हकत्याग 100/–रू. स्टाम्प पर कर देता हूं। आपकी रजिस्ट्री का सारा खर्चा बच जावेगा तथा आपको आर्थिक नुकसान नहीं होगा। इसलिए वादी ने उसकी सलाहनुसार अपनी विक्रीत भूमि की रजिस्ट्री न करवाकर स्टाम्प [illegible] प्रतिवादी चिरंजीलाल के हक में हकत्याग 100/–रू. के स्टाम्प पर करवा दिया। इसलिए यह कि प्रतिवादी सं. 1 ने नाजायज लाभ लेकर वादी की भूमि के हिस्से का हकत्याग अपने पक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:45:14 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

में करवा लिया, नितान्त असत्य व झूठ है। प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में वादी ने अपने समस्त हक उक्त भूमि से विक्रय के रूप में प्राप्त कर हकत्याग कर पंजीकृत करवाया है। रजिस्ट्री हकत्याग को सिविल न्यायालय में अवैध घोषित करवाये बिना वादी का वाद पोषणीय नहीं है, ना ही वादी को श्रीमान् जी के न्यायालय से कोई अनुतोष ही दिया जा सकता है।

अतः प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जाप्ता दीवानी का प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादी का वाद खारिज फरमाया जावे।

अप्रार्थी/वादी ने प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 के प्रार्थना पत्र का जवाब पेश किया कि प्रतिवादी सं. 1 चिरंजीलाल बहुत ही चालाक किस्म का व्यक्ति है वह दो बार ग्राम पंचायत गोठड़ा का सरपंच भी रहा है वादी सन् 2005 में पीलिया रोग से पीड़ित था व उसके दीमाग की हालत भी ठीक नहीं थी जिसका नाजायज लाभ लेकर उसने दावे में वर्णित समस्त भूमि में वादी के हिस्से का हक त्याग अपने हक में करवा लिया उक्त हक त्याग दिनांक 15.07.2005 को लिखवाया व उसे उप पंजीयक, खेतड़ी से दर्ज करवा लिया व प्रतिवादी सं. 1 ने अवैध हक त्याग दिनांक 15.07.2005 के आधार पर अपने हक में राजस्व रिकार्ड में भी करवा लिया व वादी की खातेदारी की उक्त भूमि से हटवादी। उक्त हक त्याग के बारे में धारा 212 आरटीए 1955 की दरख्वास्त में बहस हुई थी जिसमें न्यायिक दृष्टांत भी पेश किये थे व प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार हुआ था जब वादी उक्त दस्तावेज को शुन्य मानकर दावा करता है तो राजस्व न्यायालय को क्षेत्राधिकार होता है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा.दी. खारिज किये जाने की कृपा करें।

मैंने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी। विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि प्रतिवादी सं. 1 के पक्ष में वादी ने अपने समस्त हक विक्रय के रूप में प्राप्त कर हकत्याग कर पंजीकृत करवाया है। रजिस्ट्री हकत्याग को सिविल न्यायालय में अवैध घोषित करवाये बिना वादी का वाद पोषणीय नहीं हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:45:14 IST
Reason: SelfAttested

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी/वादी का कथन है कि वादी सन् 2005 में पीलिया रोग से पीड़ित था व उसके दीमाग की हालत भी ठीक नहीं थी जिसका नाजायज लाभ लेकर

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

उसने दावे में वर्णित समस्त भूमि में वादी के हिस्से का हक त्याग अपने हक में करवा लिया उक्त हक त्याग दिनांक 15.07.2005 को लिखवाया व उसे उप पंजीयक, खेतड़ी से दर्ज करवा लिया व प्रतिवादी सं. 1 ने अवैध हक त्याग दिनांक 15.07.2005 के आधार पर अपने हक में राजस्व रिकार्ड में भी करवा लिया व वादी की खातेदारी की उक्त भूमि से हटवादी।

मैंने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 43/2, 49, 51 कुल किता 3 कुल रकबा 0.71 है. में हिस्सा 1/12 व खाता सं. 202 ख.नं. 47, 52, 53, 111, 402, 403 कुल किता 6 कुलरकबा 3.06 है. में हिस्सा 1/4 भाग की सम्पूर्ण भूमि वादी शिवनारायण पुत्र नागर ने अपने सगे भाई चिरंजीलाल पुत्र नागर को जरिये हक त्याग के दिनांक 17.05.2005 को बेचान करदी थी जिसकी पुष्टि पत्रावली पर उपलब्ध हक त्याग दस्तावेज से होती है। अप्रार्थी/वादी ने उक्त हक त्याग दस्तावेज को किसी सक्षम न्यायालय में अवैध घोषित करवाने हेतु चुनौती दी हो इस बाबत पत्रावली पर कोई दस्तावेजी साक्ष्य उपलब्ध नहीं है। इस प्रकार उक्त अप्रार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत वाद, वाद हेतुक (Casue of Action) प्रकट नहीं करता है तथा विधि द्वारा वर्जित है।

अतः प्रार्थी/प्रतिवादी सं. 1 का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सी.पी. सी. स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी/वादी का वाद विधि द्वारा वर्जित होने से खारिज किया जाता है।

यह निर्णय आज दिनांक 12–10–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.11.02 13:45:14 IST
Reason: SelfAttested